कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

E-mail bemetaracmho@yahoo.com

क्रमांक/स्था.सीधी भर्ती/2021/4058 बेमेतरा, दिनांक 08/07/2021

// आवश्यक सूचना //

विषय :– **प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला (A.N.M.) के जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पद हेतु विभागीय सीमित परीक्षा परिणाम/उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन उपरांत अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना।**

––00––

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक/स्थापना नर्सिंग/170/2021/229 नवा रायपुर, दिनांक 09/03/2021 में बेमेतरा जिले हेतु विज्ञापित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)/बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 08 आरक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, प्रशिक्षित मितानिनों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता रखने वाले पात्र अभ्यार्थियों से दिनांक 10/03/2021 से दिनांक 31/03/2021 तक विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था।

ऑनलाईन आवेदन उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. द्वारा विज्ञापित सभी जिलों में एक साथ विभागीय सीमित परीक्षा का आयोजन दिनांक 27/06/2021 को किया गया। बेमेतरा में परीक्षार्थियों की परीक्षा शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय–बेमेतरा, जिला–बेमेतरा में सम्पन्न हुआ। विभागीय सीमित परीक्षा में उपस्थित समस्त 49 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम/उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक के आधार पर अनंतिम मेरिट सूची एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना बेमेतरा जिले की वेबसाईट www.bemetara.gov.in में एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में प्रकाशन किया गया है। अतएव अभ्यार्थीगण/आवेदिका उक्त अनंतिम मेरिट सूची का एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना का अवलोकन कर सकते है।

दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक निर्देश :–

टीप :–1. बेमेतरा जिले हेतु विज्ञापित पद अनुसार विभागीय सीमित परीक्षा में उपस्थित सभी उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को, दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 14/07/2021 समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बेमेतरा में आमंत्रित किया जाता है।

2.दस्तावेज सत्यापन तिथि को अभ्यार्थी/आवेदिका को स्वयं उपस्थित होना होगा।

3.केवल उत्तीर्ण अभ्यार्थियों का ही दस्तावेज सत्यापन किया जावेगा।

4.दस्तावेज सत्यापन के समय प्रशिक्षित मितानिनों को विज्ञापन में दर्शित कंडिका अनुसार SHRC द्वारा निर्बाध एवं निरंतर 05 वर्षों तक मितानिन के रूप में कार्य करने संबंधी जारी अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.दस्तावेज सत्यापन के समय शासकीय/अर्द्धशायकीय/निजी/अन्य संस्थान में सेवारत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा एवं 02 सेट स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

7.अभ्यार्थियों को अपने साथ 02 कलर पासपोर्ट साईज फोटो एवं पहचान पत्र (पेन कार्ड/अधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप लाना अनिवार्य होगा।

8.यदि अभ्यार्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा एवं चयन प्रकिया में अपात्र माना जावेगा।

9.कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यार्थियों को कोविड–19 से संबंधित समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

10.दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाईन किये गये आवेदन की प्रति 02 सेट जमा करना अनिवार्य है।

11.ऑनलाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ही सत्यापन किया जावेगा। अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही सत्यापन किया जावेगा।

12.अभ्यार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

sksharma 8.7.2021

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)